मतदान दल के प्रशिक्षण में पहुंचे कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, प्रशिक्षण से संबंधित पूछे प्रश्न

मतदान दलों को अच्छे से प्रशिक्षण लेने एवं शंका होने पर उसे तुरंत क्लियर करने के दिए निर्देश

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 मई को होने वाले लोकसभा निर्वाचन की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जिले में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। जिसके तहत आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने रायगढ़ के पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय में चल रहे मतदान दलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तर भी किए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतदान कार्य में निष्पक्ष एवं पारदर्शिता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए मतदान कक्ष में मोबाइल एवं किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग प्रतिबंधित करें।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गोयल ने मतदान केन्द्र में होने वाले मॉकपोल में बरती जाने वाली सावधानियां, मॉकपोल के पश्चात सीआरसी कितना महत्वपूर्ण है उसकी भी जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा एवं लोकसभा के मतदान में अंतर संबंधित प्रश्न भी किए, जिसका जवाब उन्होंने सबसे पहले समय का परिवर्तन, मतदान के दिन भरे जाने वाले लिफाफे के कलर का ध्यान रखने जैसे विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतदान के दिन मॉकपोल के दौरान या मतदान के दौरान मशीनों में खराबी आने पर तत्काल सेक्टर ऑफिसर के साथ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सूचना देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी मतदान दलों को अच्छे से प्रशिक्षण लेने और इस प्रशिक्षण के आधार पर ही मतदान दिवस के दिन बेहतर कार्य करने की बात कही।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने प्रशिक्षण के दौरान किसी भी तरह के डाउट होने पर मास्टर ट्रेनर से तत्काल क्लियर करने और प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के शंका होने पर बेहिचक पूछने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसडीम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, तहसीलदार रायगढ़ लोमस मिरी सहित मास्टर ट्रेनर्स एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वीवीपैट को गर्मी व लाइट से बचाए- कलेक्टर गोयल ने कहा कि सीयू, बीयू और वीवीपैट मशीनों में सबसे संवेदनशील मशीन वीवीपैट है। आगामी मतदान की प्रक्रिया ग्रीष्मकाल में होगी, लिहाजा मतदान दिवस के दिन वीवीपैट को सूर्य की तेज रोशनी एवं लाईट की गर्मी से बचाकर रखना होगा। इसी प्रकार सामग्री वितरण एवं परिवहन के दौरान वीवीपैट मशीनों को सीधे सूर्य की रोशनी से बचाने हेतु हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

नाम निर्देशन प्रशिक्षण 4 अप्रैल को

लोकसभा निर्वाचन-2024 के संलग्न हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त किया जाना है, उनकी समीक्षा अभ्यर्थियों का नाम वापसी एवं विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और उससे संबंधित अन्य कार्य के लिए कर्मचारियों-अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नाम निर्देशन शाखा के अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यक प्रशिक्षण 4 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल, विकास रंजन सिन्हा एवं संगणक छतराम महिलाने द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियुक्त जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को आवश्यक पीपीटी तैयार कर प्रशिक्षण के पूर्व नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को पीपीटी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन के समय में हुआ परिवर्तन

रायगढ़। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गर्मी की अधिकता के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मात्र ग्रीष्मकाल की अवधि अर्थात 8 अप्रैल से 15 जून 2024 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन का समय 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे किया गया है। इसी तरह केन्द्र संचालन का समय प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक होगा। जिले में 2706 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद)महोत्सव के लिए 10 अप्रैल को सामान्य अवकाश घोषित

रायगढ़। राज्य शासन द्वारा आगामी 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद) महोत्सव के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद)हेतु मंगलवार 9 अप्रैल को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था। जिसमें राज्य शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए 9 अप्रैल मंगलवार के स्थान पर 10 अप्रैल को चेट्रीचण्ड्र (चैतीचांद) महोत्सव के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया है।

धारदार हथियार लहरा रहे युवक पर धरमजयगढ़ पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़। सोमवार 01 अप्रैल के शाम थाना धरमजयढ़ अंतर्गत ग्राम उदउदा बैगापारा में एक व्यक्ति के द्वारा गांव बस्ती में खुली तलवार लेकर रास्ते से आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने की सूचना थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम को मिली। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा थाने से सहायक उप निरीक्षक डेविड टोप्पो के हमराह आरक्षक तिरिथ राठिया और दिलेश चन्द्रा को मौके के लिये रवाना किया गया जिनके द्वारा गांव चमारी दास महंत के घर के सामने युवक दीपाकंर बैरागी पिता दीपक बैरागी उम्र 22 वर्ष निवासी दुर्गापुर कालोनी थाना धरमजयगढ़ वर्तमान पता तुलसीनगर बस्ती कोरबा थाना कोतवाली जिला कोरबा को हाथ में लोहे का तलवार लहराते हुए सुरक्षा पूर्वक पकड़े। युवक से एक लोहे के तलवार की विधिवत गवाहों के समक्ष जप्ती कार्रवाई कर आरोपित दीपाकंर बैरागी को थाना लाया गया जिस पर अप.क्र. 98/2024 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है।

छेड़खानी मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 02/04/2024 को सिटी कोतवाली रायगढ़ की पुलिस द्वारा बालिका से छेड़खानी और उसके घरवालों से गाली गलौच अभद्रता करने वाले दो आरोपी- (1) भानू अधिकारी उर्फ अर्जुन अधिकारी पिता स्वर्गीय गणेश बहादुर उम्र 50 साल (2) विवेक चंद्रा उर्फ विक्की पिता स्वर्गीय मोहपाल चंद्रा उम्र 48 साल निवासी ढिमरापुर नया जगतपुर वार्ड क्रमांक 4 थाना कोतवाली जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। घटना को लेकर बालिका की मां द्वारा 19 दिसंबर 2023 को थाना कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध लिखित आवेदन देकर उसकी लड़की पर गंदे कमेंटस, अश्लील हरकतें और घरवालों से गाली गलौच करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार थे जिन्हें कल मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार का रिमांड पर भेजा गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए लू के लिए अलर्ट, बताए बचाव के उपाय

रायगढ़

जिले में तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान बढऩे से लू का प्रभाव शुरू हो चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लू के लिए अलर्ट करते हुए उसके प्रभाव से बचने के लिए सावधानियां बरतने को कहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी. के.चंद्रवंशी ने लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्कता बरतने एवं प्रारंभिक उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घर पर भी प्रारंभिक उपचार की जा सकती है, जैसे तेज बुखार आने पर सिर में ठंडे पानी की पट्टी लगाएं, पानी व तरल पदार्थ अधिक लें, फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लू के मरीजों के लिए उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओरल रिहाईड्रेशन थेरेपी कार्नर की स्थापना की गई है।

जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. कल्याणी पटेल ने बताया कि तेज धूप के कारण लू की आशंका ज्यादा हो जाती है, लू के कारण अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाये तो कभी-कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। उन्होंने लू के लक्षण के बारे में बताया कि तेज बुखार, चक्कर आना, सिरदर्द एवं भारीपन, उल्टी आना, मुंह सूखना, षरीर में पसीना न आना, भूख कम लगना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, पेशाब कम एवं पीला आना आदि लू के प्रारंभिक लक्षण होते हैं।

बचाव के उपाय

लू के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी रहने से एवं सावधानी रखने से काफी हद तक लू के चपेट से बचा जा सकता है। लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप व शरीर में पानी की कमी है। सामान्यत: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप तेज होती है इस दौरान संभव हो सके तो धूप में जाने से बचे। धूप में जाना आवश्यक हो तो सिर और कानों को कॉटन (सूती) के कपड़े से अच्छी तरह ढंक लें और पानी अधिक मात्रा में पियें। खाने में फल, जूस, दही एवं अन्य तरल पदार्थों आदि भी अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करें।

रेलवे स्टेशन परिसर में नशीली दवाईयों के साथ दो आरोपी पकड़ाए

रायपुर (आरएनएस)। रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड के पास से जीआरपी ने बड़ी मात्रा में नशीली गोलियों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जीआरपी ने सहदेव बेनवा पिता भैयालाल बेनवा उम्र 31 वर्ष निवासी नगर उडिया बस्ती वार्ड नं 15 गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर और अभिराम बाग पिता स्व. बुड्डु बाग उम्र 29 वर्ष पता नगर उडिया बस्ती वार्ड नं 15 गुढियारी थाना गुढियारी रायपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर आटो स्टैण्ड झण्डा चबुतरा के पास रेल्वे स्टेशन रायपुर में आरोपी सहदेव बेनवा के पास से गोलियों के 5 डिब्बे मिले। सभी डिब्बा को खोलकर देखने पर एक डिब्बा में 143 कैप्सूल तथा चार डिब्बा में प्रत्येक में 144 कैप्सूल कुल 719 नग प्रतिबंधित नशीला कैप्सूल जप्त किया गया। वहीं आरोपी अभिराम बाग के पास से भी 144 कैप्सूल कुल 720 नग कैप्सूल मिला। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक एवं कर्मचारियों को 7 मई मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 को संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में अर्थात 19 अप्रैल, 26 अप्रैल एवं 7 मई 2024 को मतदान कराया जा रहा है। जिसके तहत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 7 मई 2024 को मतदान होना है। इस संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लिए मतदान के दिन राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है।

प्रभारी सहायक श्रमायुक्त रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए है।

साथ ही दीगर राज्यों के मतदाता जो रायगढ़ जिले में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना है।

अभियान: सड़क किनारे खतरनाक तरीके से खड़ी वाहनों पर पुलिस टीम ने की जब्ती कार्यवाई

सीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी के साथ पुलिस टीम ने छातामुड़ा से उर्दना चौक तक चलाया अभियान

रायगढ़

मुख्य मार्ग पर विशेष कर ढाबा, पेट्रोल पंप के समीप भारी वाहन के चालक सड़क के किनारे खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी कर देते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर लगातार थानों व ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्यवाही और सड़क सुरक्षा को लेकर सुधारात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दोपहर नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ आकाश शुक्ला और उप पुलिस अधीक्षक यातायात रमेश कुमार चंद्रा के नेतृत्व में ट्रैफिक अमले के साथ पुलिस टीम छातामुड़ा चौंक से बाईपास होते ढिमरापुर चौंक होकर उर्दना चौंक तक सड़क किनारे दोनों और खड़ी दर्जनों वाहन के चालकों पर धारा 283 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर वाहनों को जप्त किया गया। संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध थाना जूटमिल और कोतरारोड़ में अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। इस दौरान यातायात पुलिस ने कई वाहन चालकों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई है। अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी गई है।

जंगल के रास्ते मवेशियों को बूचड़खाने ले जा रहे दो मवेशी तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 25 मवेशियों को लैलूंगा पुलिस ने कराया मुक्त

रायगढ़

दिनांक 02/04/2023 के भोर लैलूंगा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर कोडासिया छापरपानी मार्ग पर दो व्यक्तियों को कृषक मवेशियों को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते बूचडखाने ले जाते समय पकड़ा गया है। रात्रि थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक राजेश जांगडे को मुखबीर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति कृषक मवेशियों को भूखे प्यासे मारते पीटते क्रूरता पूर्वक हांकते हुए जंगल के रास्ते अन्य राज्यों के बुचडखाना ले जा रहे हैं। सूचना पर रात्रि गस्त दौरान थाना प्रभारी द्वारा अलग-अलग रास्तों पर स्टाफ लगाया गया।सुबह करीब 04.30 बजे ग्राम कोडासिया छापरपानी के बीच दो व्यक्ति आरोपी (1) फतेराम सिदार पिता चनक राम सिदार 26 वर्ष साकिन मुडाबहला कर्राजोर थाना बागबहार जिला जशपुर (2) लोचन प्रसाद राठिया पिता बलदेव राठिया 25 वर्ष साकिन मालपानी थाना घरघोडा जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ) को पुलिस टीम ने पकड़ा जिनके कब्जे से 25 नग मवेशियों को जप्त किया गया है। आरोपियों के कृत्य पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 81/2024 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक राजेश जांगडे, सुमेश गोस्वामी, रामरतन भगत, आरक्षक मया राम राठिया, हेलारियुस तिर्की शामिल थे।

1 अप्रैल से मदिरा के मूल्य में वृद्धि, दुकानों में पहले से संग्रहित मदिरा भी बिकेगी बढ़े हुए मूल्य पर

मदिरा दुकानों में ओवर रेट के संबंध में आबकारी विभाग और सी.एस.एम.सी.एल.के टोल फ्री नंबर 14405 पर कर सकते है शिकायत

रायगढ़

राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल से मदिरा में वृद्धि करते हुए मदिरा विक्रय दर सूची जारी की गई है। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार देशी मदिरा के प्रचलित क्वार्टर के मूल्य में 12.5 प्रतिशत, विदेशी मदिरा में प्रचलित चीपर रेंज के क्वार्टर के मूल्य में 8 प्रतिशत, जबकि विदेश से आयातित (बोर्न इन ओरिजिन) कतिपय प्रचलित ब्रांड के मूल्य में 45 प्रतिशत और इससे भी अधिक तक की वृद्धि की गई है। साथ ही 01 अप्रैल से पूर्व मदिरा दुकानों में संग्रहित हो चुकी मदिरा भी 01 अप्रैल से बढ़े हुए मूल्य पर ही बेची जाएगी। मदिरा की बोतलों में पुराना रेट स्टीकर ही लगा होने के कारण ग्राहकों को नए मूल्य की वास्तविक जानकारी मदिरा दुकानों से बिल प्राप्त कर हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वेब लिंक https://excise.cg.nic.in/csmcl/PriceList पर जाकर भी मोबाइल के माध्यम से मूल्य देख सकेंगे। दुकानों एवं गोदाम में संग्रहित मदिरा की समाप्ति के पश्चात नए विक्रय दर प्रिंट के साथ मदिरा प्राप्त हो सकेगी। विदेशी मदिरा के कई प्रचलित ब्रांड लेबल्स का मूल्य जारी होना शेष रहने के कारण मूल्य जारी होने तक दुकानों में संग्रहित ऐसी मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा, जिसे मूल्य जारी होने के बाद विक्रय किया जाएगा। मदिरा दुकानों में नई विक्रय दर सूची चस्पा की जा रही है। मदिरा दुकानों में ओवर रेट की शिकायत आबकारी विभाग और सी.एस.एम.सी.एल.के टोल फ्री नंबर 14405 पर सकते है।

रास्ता रोककर युवती से छेड़खानी, आरोपी को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

दिनांक 03/04/2024 को खरसिया पुलिस ने युवती से छेड़खानी के आरोपित भुवन लाल पटेल (उम्र 30 वर्ष) निवासी ग्राम टेमटेमा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। कल थाना खरसिया में पीड़ित युवती रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 30.03.2024 को अपने कार्य के सिलसिले में ग्राम सोण्डका गई थी, जहां से लौटते समय पण्डरीपानी पुल के पास ग्राम टेमटेमा का भुवन पटेल मोटर सायकल से पीछा करते हुये आया और उलटी-सीधी बातें कहकर छेड़खानी करने लगा। युवती बताई कि जब वह अपनी स्कुटी पर जाने लगी तो भुवन पटेल उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर हाथापाई पर उतारू हो गया। आरोपी भुवन पटेल के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 219/2024 धारा 354, 354(घ), 506 आईपीसी +323, 341 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर पीड़ित महिला का कथन लिया गया और आरोपी की पतासाजी कर आज उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

खंड चिकित्सा अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.वी.के.चंद्रवंशी की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य कार्यालय के आरोग्यम सभाकक्ष में जिला कार्यक्रम प्रबंधक समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के समस्त नोडल अधिकारी के साथ समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक ली गई। जिसमें स्वास्थ्य विभाग में संचालित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। परिवार नियोजन, सिकलसेल कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, एकीकृत निगरानी कार्यक्रम बीमारी रोकथाम, राज्य नोडल एजेंसी तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन, एनएचएम अंतर्गत वित्तीय प्रगति, कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हाईरिस्क गर्भवती माताओं के फालोअप, खान-पान, दवा की काउंसिलिंग करने के लिए निर्देशित किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480